कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जोन क्र– 01 नेहरू नगर

क्र./लो.क.वि./जोन.क. 1/2023/1823 भिलाई, दिनांक 22/2/23

//रुचि की अभिव्यक्ति //

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम भिलाई के जोन–01 नेहरू नगर अंतर्गत **उच्चस्तरीय पानी टंकी में फ्लैक्स, साईन बोर्ड एवं विज्ञापन लगाने का कार्य** हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये /ए.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से 01 वर्ष हेतु रुचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना आमंत्रित की जाती है।

आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 (प्रत्येक टंकी के लिये अलग–अलग) का एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन–01 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक 13.03.2023 को 5:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमन्त्रित कर दिनांक 14.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। (नियम शर्ते. निगम के वेबसाइट www. bhilainagarnigam.com में देखी जा सकती है।)

22/2/23

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन–01 नेहरू नगर अनुविभाग

नगर पालिक निगम जोन–01 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न **उच्चस्तरीय पानी टंकी** स्थापित है, जिसमें साईन बोर्ड, फ्लैक्स एवं विज्ञापन लगाये जाने हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 का एफ.डी.आर. (प्रत्येक टंकी के लिये अलग–अलग) जोन आयुक्त जोन–01 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उच्चस्तरीय पानी टंकी का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. विज्ञापन की दरे प्रतिवर्ग फीट 3 रूपये प्रतिदिन रहेगी।
4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी स्मपूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उल्लेखित उच्चस्तरीय पानी टंकी का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. उच्चस्तरीय पानी टंकी की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
8. उच्चस्तरीय पानी टंकी के रख–रखाव संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी समाज की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते समाज को सर्वमान्य होगा।
10. ऑफरदाता को ग्लो साईन बोर्ड लगायें जाने पर विद्युत का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
11. ऑफरदाता को उपलब्ध उच्चस्तरीय पानी टंकी में फ्लेक्स/विज्ञापन हेतु वार्षिक रूप से अधिकतम ऑफर मान्य होगा।
12. ऑफरदाता उच्चस्तरीय पानी टंकी के क्षमता अनुसार फ्लेक्स/विज्ञापन पर अधिकतम ऑफर मान्य होगा।
13. उक्त उच्चस्तरीय पानी टंकी में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।
14. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना,जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
15. उच्चस्तरीय पानी टंकी में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी होगी।
16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–01
नगर पालिक निगम,
भिलाई

Scanned with OKEN Scanner